28/11/24

पत्रावली पेश। उभय पक्ष उपस्थित। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा तहसीलदार आबूरोड द्वारा किये गये बटवारा प्रस्ताव आदेश क्रमांक 594-95 दिनांक 11-6-2003 की प्रति पेश की। उभय पक्षों की बहस सुनी बहस के दौरान प्रार्थी अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण एवं पूर्व के दोनो सहखातेदारो के बीच आपसी सहमति से बटवारा होने पर राजस्व कर्मचारीगण द्वारा सहवन से लिपीकीय त्रुटि से वादीगण/प्रार्थीगण एवं पूर्व के दोनो सहखातेदारों के हिस्से अनुसार रकबा अंकन करने मे त्रुटि रखने का कथन किया। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता ने कथन किया कि प्रार्थीगण ने उक्त प्रकरण वर्णित आपसी सहमति से किए गए विभाजन की कार्यवाही को इससे पूर्व भी उक्त प्रकरण वर्णित तथ्यों व आधारों पर सक्षम न्यायालय मे चुनौती दी जा चुकी है जिसमे प्रार्थीगण की वाद कार्यवाही अपील वगैरह सभी अस्वीकार कर खारीज की चुकी है।

मैंने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। बहस पर मनन एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो अनुसार प्रार्थीगण द्वारा उक्त प्रकरण मे आपसी सहमति का बटवारा अन्तर्गत धारा 53 (2) राज० काश्तकारी अधि० 1955 [illegible] तहसीलदार आबूरोड से जरिये आदेश क्रमांक 594-95 दिनांक 11-6-2003 [illegible] बटवारा मे [illegible] कराया था। प्रार्थीगण द्वारा उक्त [illegible] को लिपिकीय त्रुटि बताते हुए [illegible] राजस्व अधि० 1956 के तहत प्रविष्टि की दुरुस्ती चाही है।

—लगातार

सहायक कलेक्टर
आबूरोड (सिरोही)

Signature Not Verified
Digitally signed by Shankar Meena
Date: 2025.06.04 15:05:24 I
Reason: SelfAttested

चूंकि धारा 96 सिविल प्रक्रिया संहिता की उप धारा (3) अनुसार पक्षकारों की सहमति से जो डिक्री न्यायालय ने पारित की है उसकी कोई अपील नहीं होगी।

ऐसी स्थिति प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधि० परिपोषणीय नहीं होने से खारीज किया जाता है।

पत्रावली फैसला शुमार होकर नेबर से कफ हो।

सहायक कलेक्टर,
आबूरोड (सिरोही)

Signature Not Verified

Digitally signed by Shankar Lal Meena
Date: 2025.06.04 15:05:24 IST
Reason: SelfAttested